

अल्पवयस्कों के लिये डेटा संरक्षण

यह एडिटरियल 24/01/2023 को 'द हट्टू' में प्रकाशित "Needed, a new approach to data protection for minors" लेख पर आधारित है। इसमें बच्चों के संबंध में ड्राफ्ट डजिटल व्यक्तिगत डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) अधिनियम, 2022 से जुड़े मुद्दों के बारे में चर्चा की गई है।

संदर्भ

भारत में अल्पवयस्कों के लिये डेटा संरक्षण अत्यंत महत्त्वपूर्ण है क्योंकि देश में बच्चों के बीच प्रौद्योगिकी और इंटरनेट के उपयोग में लगातार वृद्धि हो रही है। अधिकाधिक बच्चों की इंटरनेट तक पहुँच और उनके द्वारा डजिटल उपकरणों के उपयोग में वृद्धि के साथ उनके लिये ऑनलाइन दुरुव्यवहार के विभिन्न रूपों, जैसे साइबरबुलडिंग, ग्लूमिग और शोषण के संपर्क में आने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है।

- ड्राफ्ट डजिटल व्यक्तिगत डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) अधिनियम, 2022 एक प्रस्तावित अधिनियम है जिसका उद्देश्य भारत में लोगों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करना है। वर्तमान में यह बच्चों (18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित) द्वारा सभी डेटा प्रोसेसिंग गतिविधियों के लिये माता-पिता की अनिवार्य सहमति का उपबंध करता है।
- इसके अलावा, उपयुक्त सहमति के बिना अल्पवयस्कों के व्यक्तिगत डेटा का संग्रह एवं उपयोग गोपनीयता के उल्लंघन और संभावित हानि का भी कारण बन सकता है। इस परिदृश्य में भारत के लिये यह महत्त्वपूर्ण है कि वह अपने अल्पवयस्क नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और भलाई के लिये सुदृढ़ डेटा सुरक्षा उपायों को लागू करे।

DPDP अधिनियम, 2022 के प्रमुख प्रावधान

- डेटा प्रसिपिल और डेटा फडियूशरी:**
 - डेटा प्रसिपिल (Data Principal) उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसका डेटा एकत्र किया जा रहा हो।
 - बच्चों (<18 वर्ष) के मामले में उनके माता-पिता/कानूनी अभिभावकों को 'डेटा प्रसिपिल' माना जाता है।
 - डेटा फडियूशरी (Data Fiduciary) वह निकाय (व्यक्ति, कंपनी, फर्म, राज्य आदि) है जो 'किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण का उद्देश्य एवं साधन' निर्धारित करता है।
- व्यक्तियों के अधिकार:**
 - सूचना तक पहुँच:**
 - व्यक्ति सुनिश्चित करता है कि लोग भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में नरिदष्टि भाषाओं में 'बुनियादी सूचना तक पहुँच' रखने में सक्षम हों।
 - सहमति का अधिकार (Right to Consent):**
 - व्यक्तियों को उनके डेटा को संसाधित करने से पहले सहमति देने की आवश्यकता होती है और "प्रत्येक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि व्यक्तिगत डेटा के कौन से आइटम कोई डेटा फडियूशरी एकत्र करना चाहता है और इस तरह के संग्रह एवं आगे इसके प्रसंस्करण का क्या उद्देश्य है।"
 - व्यक्तियों को किसी डेटा फडियूशरी को दी गई अपनी सहमति वापस लेने का भी अधिकार है।
 - मिटाने का अधिकार (Right to Erase):**
 - डेटा प्रसिपिल के पास डेटा फडियूशरी द्वारा एकत्र किये गए डेटा को मिटाने और इसमें सुधार की मांग करने का अधिकार होगा।
 - नामांकित करने का अधिकार (Right to Nominate):**
 - डेटा प्रसिपिल को किसी ऐसे व्यक्ति को नामांकित करने का भी अधिकार होगा जो उनकी मृत्यु या अक्षमता की स्थिति में इन अधिकारों का प्रयोग कर सकेगा।
- डेटा संरक्षण बोर्ड (Data Protection Board):**
 - व्यक्तिगत डेटा अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु एक डेटा संरक्षण बोर्ड के गठन का भी प्रस्ताव किया गया है।
 - डेटा फडियूशरी की ओर से असंतोषजनक उत्तर के मामले में उपभोक्ता डेटा संरक्षण बोर्ड के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
- सीमा-पार डेटा स्थानांतरण:**
 - व्यक्तिगत सीमा-पार भंडारण (Cross-border Storage) और डेटा को 'कुछ अधिसूचित देशों और क्षेत्रों' में स्थानांतरित करने की भी अनुमति देता है, बशर्ते उनके पास उपयुक्त डेटा संरक्षण परविश मौजूद हो और सरकार वहाँ से भारतीयों के डेटा को प्राप्त कर सकती हो।

■ अर्थ दंड:

○ डेटा फडियूशरी के लयि:

- वधियक उन कारोबारों पर उल्लेखनीय दंड लगाने का प्रस्ताव करता है जो डेटा उल्लंघनों से संलग्न पाए जाएँ या उल्लंघन होने के मामले में उपयोगकर्ताओं को सूचित करने में वफिल रहें।
- इसके लयि 50 करोड़ रुपए 500 करोड़ रुपए तक का अर्थ दंड आरोपित कयि जाएगा।

○ डेटा प्रसिपिल के लयि:

- यदिकोई उपयोगकर्ता ऑनलाइन सेवा के लयि साइन अप करते समय गलत दस्तावेज प्रस्तुत करता है या झूठी शकियत दर्ज कराता है तो उस पर 10,000 रुपए तक का अर्थ दंड लगाया जा सकता है।

बच्चों के संबंध में वधियक में मौजूद समस्याएँ

■ सहमतकि लयि माता-पति पर नरिभरता:

- अल्पवयस्कों हेतु सुरक्षति एवं बेहतर सेवाओं के सकरयि नरिमाण के लयि ऑनलाइन मंचो को प्रोत्साहित करने के बजाय यह वधियक सभी मामलों में बच्चे की ओर से सहमति देने के लयि माता-पति पर नरिभरता रखता है।
- नमिन डिजिटल साक्षरता वाले देश में, जहाँ वास्तव में प्रायः माता-पति ही इंटरनेट नेवगिट करने में अपने बच्चों (जो 'डिजिटल नेटवि' होते हैं) पर नरिभरता रखते हैं, बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लयि यह एक अपरभावी तरीका है।

■ बच्चों के हतियों पर वधिार नहीं:

- यह 'बच्चे के लयि सर्वोत्तम हति' के मानक की अवहेलना करता है जसिकी उत्पत्ति बाल अधिकार अभिसमय, 1989 (1989 Convention on the Rights of the Child) से हुई थी।
 - भारत ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम (वर्ष 2005), नःशुल्क और अनविरय बाल शकिषा अधिकार अधिनियम (वर्ष 2009) तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (वर्ष 2012) जैसे कानूनों में इस मानक का पालन कर रखा है।
 - लेकिन डेटा संरक्षण के मुददे पर इसे लागू नहीं कयि गया है।
- मसौदा वधियक इस बात पर ध्यान नहीं देता है कि कशिर आत्म-अभवियक्ति और व्यक्तगित वकिस के लयि वभिनि इंटरनेट प्लेटफॉर्मों का उपयोग कसि प्रकार करते हैं और यह इन दनों कशिरों के अनुभव के लयि कतिना महत्त्वपूर्ण है।

■ नागरिकों के व्यक्तगित डेटा के लयि जोखमि:

- DPDP वधियक के वर्तमान मसौदे में प्रत्येक मंच को अल्पवयस्कों के मामले में 'माता-पति की सत्यापन योग्य सहमति' (Verifiable Parental Consent) प्राप्त करनी होगी। यदिकिस प्रावधान को सख्ती से लागू कयि जाता है तो यह इंटरनेट की वर्तमान प्रकृति को रूपांतरित कर सकता है।
- चूँकि आयु की पुष्टि के बिना यह कहना कठनि है कि उपयोगकर्ता अल्पवयस्क है या नहीं, इसलयि प्लेटफॉर्म को प्रत्येक उपयोगकर्ता की आयु को सत्यापित करना होगा।
 - सरकार बाद में नरिधारित करेगी कयिह सत्यापन आईडी-प्रूफ, चेहरे की पहचान, संदर्भ-आधारित सत्यापन जैसे कसि माध्यम पर आधारित होगा।
- अब सभी प्लेटफॉर्मों को पहले की तुलना में व्यापक रूप से अधिक व्यक्तगित डेटा का प्रबंधन करना होगा और नागरिक डेटा उल्लंघन, पहचान की चोरी आदि खतरों का अधिक जोखमि रखेंगे।

आगे की राह

■ ऐसी सेवाओं की अभकिल्पना जो जोखमिों से बच्चों की सुरक्षा करें:

- समय की मांग है कि ट्रेकिंग, नगिरानी आदि पर पूर्ण प्रतबिंध से आगे बढ़ते हुए प्लेटफॉर्म दायित्वों के प्रतजोखमि-आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाए।
- प्लेटफॉर्मों के लयि अल्पवयस्कों हेतु जोखमि मूल्यांकन को अनविरय कयि जाना चाहयि और न केवल आयु-सत्यापन-संबंधी संबंधित दायित्वों को पूरा करना चाहयि बल्कि डिफॉल्ट सेटिंग्स एवं सुवधियों के साथ ऐसी सेवाओं की अभकिल्पना की जानी चाहयि जो बच्चों को जोखमिों से बचाएँ।
 - यह दृष्टिकोण बच्चों के लयि बेहतर उत्पादों को डिज़ाइन करने हेतु प्लेटफॉर्मों के लयि प्रोत्साहन का सृजन कर सह-वनिियमन के एक तत्व का प्रवेश कराएगा।

■ माता-पति की सहमति हेतु अनविरय आयु में छूट देना:

- सभी सेवाओं के लयि माता-पति की सहमति हेतु अनविरय आयु को 13 वर्ष (दुनिया भर के कई अन्य क्षेत्राधिकारों के अनुरूप) कयि जाने की आवश्यकता है।
- सहमति संबंधी आवश्यकताओं में ढील देकर डेटा संग्रह को न्यूनतम कयि जा सकेगा जो कि उन सिद्धांतों में से एक है जसि पर यह वधियक आधारित है।
- उपर्युक्त जोखमि कम करने के दृष्टिकोण के साथ सहमति की आयु में छूट प्रदान कर बच्चों को ऑनलाइन पहुँच का अवसर देने के साथ ही उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।

■ व्यापक सर्वेक्षणों का आयोजन:

- भारतीय संदर्भ में इस समाधान के नरिमाण के लयि सरकार को बच्चों और माता-पति दोनों की ऑनलाइन आदतों, डिजिटल साक्षरता, वरीयताओं और दृष्टिकोण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लयि बड़े पैमाने पर सर्वेक्षणों का आयोजन करना चाहयि।
- ऐसी नीति तैयार की जानी चाहयि जो ऑनलाइन मंच पर बच्चों की सुरक्षा और अभकिर्तृत्व (एजेंसी) को संतुलित करे।
- बच्चों की सुरक्षा का दायित्व केवल माता-पति पर ही नहीं डाला जाना चाहयि, बल्कि इसे पूरे समाज का दायित्व बनाया जाना चाहयि।

■ बच्चों के नजिता के अधिकार में सुधार लाना:

- बच्चों को उनके नजिता के अधिकारों और ऑनलाइन मंचों पर व्यक्तिगत सूचना को सुरक्षित रखने के तरीकों के बारे में शक्ति कया जाना चाहयि ।
- बच्चों को भी नजिता का मूल अधिकार प्राप्त है और इसमें उनके व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा भी शामिल है ।
- प्रौद्योगिकी की उत्तरोत्तर उन्नता और सूचनाओं के अधिकाधिक संग्रहण एवं ऑनलाइन साझेदारी के साथ यह सुनिश्चति करना तेजी से महत्त्वपूर्ण होता जा रहा है क अल्पवयस्कों के नजिता के अधिकार को अक्षुण्ण रखा जाए ।
 - बच्चों के वकिस के लयि, वशिष रूप से रचनात्मकता और आत्म-अभिव्यक्ता की खोज के लयि डजिटल स्पेस के कई लाभ प्राप्त हो सकते हैं ।

अभ्यास प्रश्न: डजिटल युग में अल्पवयस्कों के लयि डेटा सुरक्षा सुनिश्चति करने हेतु कया उपाय कयि जाने चाहयि? चर्चा कीजयि ।

यूपीएससी सवलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

????????????????

Q. नमिनलखति में से कसिने अप्रैल, 2016 में अपने नागरिकों के लयि डेटा संरक्षण और गोपनीयता पर एक कानून अपनाया जसि 'जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन' के रूप में जाना जाता है और 25 मई, 2018 से इसे लागू कया? (वर्ष 2019)

- (A) ऑस्ट्रेलया
- (B) कनाडा
- (C) यूरोपीय संघ
- (D) संयुक्त राज्य अमेरका

उत्तर: (C)

- सभी यूरोपीय संघ के सदस्यों पर एक समान डेटा सुरक्षा कानून लागू करने के उद्देश्य से, सामान्य डेटा संरक्षण वनियमन (GDPR) को अप्रैल, 2016 में यूरोपीय संघ (EU) द्वारा अनुमोदति कया गया था ।
- GDPR सभी 28 यूरोपीय संघ के देशों में डेटा संरक्षण कानून का मानकीकरण करता है और व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी को नयित्तरति करने और संसाधति करने पर नए नयिम लागू करता है ।
- यह यूरोपीय संघ के नवासिधियों को वापस नयित्तरण देकर व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और डेटा संरक्षण अधिकारों का वसितार भी करता है । GDPR वर्ष 1995 का EU डेटा प्रोटेक्शन डायरेक्टवि का स्थान लया है और 25 मई, 2018 को लागू हुआ । **अतः वकिल्प (C) सही उत्तर है ।**

????????????????

Q. बढ़ते साइबर अपराधों के कारण डजिटल दुनया में डेटा सुरक्षा महत्त्वपूर्ण हो गई है । न्यायमूर्त बी.एन. श्रीकृष्ण समति की रिपोर्ट डेटा सुरक्षा से संबंधति मुद्दों को संबोधति करती है । आपके वचिर में साइबरस्पेस में व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा से संबंधति रिपोर्ट की शक्ति और कमजोरयि कया है? (वर्ष 2018)